छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश

क्रमांक 50 (App.) / II-14-1/2023 (DEO.) बिलासपुर, दिनांकः 22 जून, 2024

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना पर निम्नलिखित अभ्यर्थीगणों : –

स.क्र.	नाम / पिता का नाम	पता	वर्ग जिसके विरूद्ध नियुक्ति की गई
1.	SHRI SAMEER MINOCHA, S/O SHRI SURENDRA MINOCHA	Ward No. 7, Near Railway Crossing, Manendragarh, District-Manendragarh Chirmiri Bharatpur (Chhattisgarh) Pin-497442.	UR
2.	SHRI HEMANT KUMAR DEWANGAN, S/O SHRI PARDESHI DEWANGAN	Near Bamhar Mandir, Science College Road, Chantidih, Bilaspur (Chhattisgarh) Pin-495006.	UR
3.	SHRI BALRAM BAG, S/O Lt. HALDHAR BAG	Gorkha Colony, New Wallfort Orchid, New Shanti Nagar, Shankar Nagar, Raipur (Chhattisgarh) Pin 492001.	UR
4.	SHRI KHILENDRA SINGH THAKUR, S/O UDAL SINGH THAKUR	C/o Khilendra Singh Thakur, Kutumb Nyayalaya, Warehouse Road, Near Sanjivini Hospital, Bilaspur (Chhattisgarh).	UR
5.	KU. RADHIKA, D/O SHRI KRISHNAVATAR	Village-Dhaniyadoli, P.O.-Akharar, Tah.-Lormi, District-Mungeli, (Chhattisgarh) Pin-495115.	UR (Female)
6.	KU. AYUSHI DHIWAR, D/O SHRI ASHOK DHIWAR	W-13, House No. 1187, Near R.N. Super Market, Alakhadham Nagar, Mangala, Bilaspur (Chhattisgarh).	OBC
7.	SHRI DARVIN, S/O SHRI BALAD RAM	Village & Post-Dhangaon, Tah.-Sarsiwa, District-Sarangarh-Bilaigarh (Chhattisgarh) Pin 493559.	SC
8.	SHRI SAHDEV BURMAN, S/O MOHAN LAL BURMAN	Village-Pataidih, Post-Pachpedi, Tah.-Masturi, District-Bilaspur (Chhattisgarh) Pin-495551.	SC

को **डाटा एन्ट्री ऑपरेटर** **(Data Entry Operator)** के पद पर पे मेट्रिक्स के **लेवल–6 (25300-80500)** में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से **3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर** निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन नियुक्त किया जाता हैः–

(1) परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे एक वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी और जब तक स्थायी न कर दिया जाये तब तक उन्हें परिवीक्षा अवधि पर माना जायेगा।

(2) परिवीक्षा काल में उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी ।

(3) अस्थायी सेवा काल में वे यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो एक माह की पूर्व सूचना रजिस्ट्री को देनी होगी या यदि तुरन्त कार्य मुक्त होना चाहे तो एक माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन

22/6/24

जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो उन्हें नियोक्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दी जायेगी या ऐसी सूचना के बदले एक माह का वेतन नियमानुसार देकर तुरन्त सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।

(4) चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 06.07.2024 तक अनिवार्य रूप से अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से अपात्र किया जावेगा तथा चयनित सूची से उनका नाम पृथक कर दिया जावेगा।

(5) वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया स्वस्थता का प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करेंगें जिसका व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा।

(6) सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक अथवा मानसिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जा सकेगा।

(7) उन्हें अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा। पुलिस प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

(8) वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य विभाग को किसी पद के लिये सीधे आवेदन नहीं करेंगें।

(9) वे बिना पूर्व अनुमति के किसी विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययन नहीं करेंगे, और न ही स्वाध्यायी छात्र के रूप में किसी परीक्षा में सम्मिलित होगें, यदि वे अध्ययन करते हुए अथवा परीक्षा में सम्मिलित होते हुए पाये गये तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(10) उन्हें कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति अवश्य प्रस्तुत करना होगा। यह पाये जाने पर कि उन्होनें अपने आवेदन में और उसके साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में मिथ्या तथ्यों का समावेश किया है या कोई तथ्य छिपाया है अथवा वह विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अर्हता नहीं रखते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

(11) **यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके समस्त दस्तावेजों के जॉच के अध्याधीन है तथा यदि दस्तावेज पात्रतानुसार नहीं पाये जाने अथवा उचित/सही नहीं पाये जाने पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से वंचित किया जा सकेगा तथा उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।**

(12) **उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नहीं अपितु प्रावीण्य सूची में उपरोक्तानुसार उनके क्रम से शासित होगी एवं उनकी वरीयता आज तक इस उच्च न्यायालय की स्थापना पर नियुक्त डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के सबसे अंतिम स्थान पर होगी।**

(13) यह नियुक्ति आदेश चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है साथ ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के वेबसाईट पर भी अपलोड की जा रही है। चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाईट से डाउनलोड करके भी अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।

(14) यह नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन **S.L.P. (C) No. 19668/2022** द्वारा पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

(15) यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) है तथा जाति/जनजाति प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किए जाने के अध्याधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग जैसा भी मामला हो, से सम्बन्ध होने का दावा झूठा है तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता/भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही, जो की जा सकती है संबंधी कार्यवाही के अतिरिक्त, संबंधित की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

(16) **"आरक्षित पद के विरूद्ध चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ 13–4/2006/आ.प्र./1–3 दिनांक 29.06.2013 में संलग्न प्रारूप के अनुसार शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। (प्रारूप संलग्न)**

(17) यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सेवायें (नियुक्ति, सेवा की शर्तें तथा आचरण) नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है अतः इस आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त उनकी सेवाएं उक्त नियम के प्रावधानों से शासित होंगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

सही/–
(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठां0 क्रमांक 9542 /
II-14-1/2023 (DEO)

बिलासपुर, दिनांकः 22 जून, 2024

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निज सचिव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
2. रजिस्ट्रार (विजि./आई. & ई./न्या./एस. & ए. सेल), छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
3. डायरेक्टर (सी.एस.जे.ए.), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
4. रजिस्ट्रार (कम्प्यूटराईजेशन)–कम–सी.पी.सी., छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर उक्त आदेश को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
5. एडिशनल रजिस्ट्रार (स्थापना व जिला स्था./न्या./प्रशासन), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
6. ओ.एस.डी., छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
7. बजट अधिकारी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
8. डिप्टी रजिस्ट्रार (कार्य/प्रोटो./स्था./स्थाप. भर्ती शाखा)/लेखाधिकारी, छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
9. अनुभाग अधिकारी (लेखा/वेतन निर्धारण), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
10. अस्सिटेंट (स्था.), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायायल, बिलासपुर,
11. **उपरोक्तानुसार 01 से 08 तक समस्त अभ्यर्थीगण,**

<u>की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।</u>

22/6/24

(बलराम प्रसाद वर्मा)
रजिस्ट्रार जनरल

प्रारूप (एक)

आरक्षित पद अथवा सीट पर नियुक्त / प्रवेशित / निर्वाचित / नामांकित / मनोनित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत

शपथ–पत्र

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी .... आ0 .... उम्र ...... वर्ष ...... व्यवसाय .... निवासी .... तहसील .... जिला .... राज्य .... शपथपूर्वक कथन करता / करती हूँ कि :

(1) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद / सीट / लाभ / सुविधा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है / था।

(2) मेरी नियुक्ति / प्रवेश / निर्वाचन / नामांकन / मनोनयन आरक्षित पद / सीट के अध्ययधीन प्रदान की गई है।

(3) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग को होने के संबंध में ....(प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पद) द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(4) मेरे द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र विहित रीति से तथा विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है।

(5) कदाचित उपर्युक्त जाति प्रमाण पत्र / सत्यापन प्रमाण–पत्र के गलत अथवा कपट पूर्वक प्राप्त करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तथा उक्त के आधार पर अथवा स्वप्रेरण से सामाजिक प्रास्थिति जिला स्तरीय सत्यापन समिति मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में कोई जॉच करती है अथवा गहन जॉच हेतु सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को संदर्भित करती है तथा उक्त समिति या समितियों के द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में की गई जॉच एवं पारित निर्णय से यह प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में किया गया दावा तथा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र गलत अथवा कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है तो बिना किसी अपवाद के आरक्षित पद / सीट के अध्ययधीन मेरी नियुक्ति / प्रवेश / निर्वाचन / चयन / प्रदत्त लाभ / सुविधा, यथास्थिति अनावेदक (संबंधित लोक नियोजक / शैक्षणिक संस्था / संवैधानिक निकाय / राज्य शासन / केन्द्र शासन का नाम) ....

.... द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त/समाप्त/अपवर्जित किया जा सकेगा तथा मैं उक्त नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा आदि के संबंध में व्यय की गई राशि अनावेदक को वापस करने हेतु दायित्वाधीन होउँगा तथा उक्त राशि मुझसे भू राजस्व के बकाया की भाँति वसूली जा सकेगी तथा उक्त संबंध में मेरे विरूद्ध छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 में निर्दिष्ट कार्यवाही की जा सकेगी

हस्ताक्षर ....

सत्यापन

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी ....
आत्मज/आत्मजा .... सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कण्डिका 1 से 5 में उल्लिखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सही है, जिसे मैं पूरे होशो हवास में सत्यापित करता हूँ

हस्ताक्षर ....